कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः **apccf-lm.cg@gov.in**

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–821/ 872 नया रायपुर, दिनांक 22/05/2020

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल, कोण्डागांव
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II South Kondagaon Division " Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 8.011 ha. regarding**
पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/42451/2020

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र. 138/ 2020 / 696 दिनांक 19.03.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। नोडल कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पाई गई है:–

1. वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण संबंधित कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड नहीं किया गया है।
2. Form A Part-II के कालम नं. 4 निरंक है।
3. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ – 5–02/ 2020/ 10–2 दिनांक 16.04.2020 से ओ.एफ.सी. लाईन के एक अन्य प्रकरण में कमियों को उल्लेख करते हुए प्रकरण मूलतः वापस कर दिया गया है।
4. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधि प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिन्दु क्रमांक ए (ग्राम सभा कार्यवाही विवरण) तथा बी (ग्राम सभा की अनुशंसा) संबंधि जानकारी में "Not Applicable" लिखा है।

   भारत सरकार के दिशा निर्देश क्रमांक एफ 11–9/98–एफ सी (पीटी) दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारूप में Linear प्रकरणो हेतु Form – I निर्धारित है तथा इस Form – I में FRA के अधीन Settlements of Rights संबंधी ग्राम सभा की सम्पूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण को संलग्न किया जाना उल्लेखित है।

5. संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतो के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होने का लेख किया गया हैं। उक्त बाबत् स्थिति स्पष्ट करें। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12.02.2010 का उल्लेख आवरण पत्र में है, जिसकी छाया प्रति भेजी जावे।

6. प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित कांकेर वन मंडल में अलग–अलग OFC लाईन के प्रकरणों को एकजाई कर इन लाईनों से प्रभावित हो रहे वन कक्ष के क्रमांक दर्ज करते हुए कुल रकबा 8.011 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है।

उक्त त्रुटि इस प्रकरण में भी परिलक्षित हो रही है, जो निम्नानुसार हैः–

(i) प्रत्येक ओ.एफ.सी. लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ii) प्रत्येक ओ.एफ.सी. लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा नहीं दर्शाया गया है।

7. चेक लिस्टवार आवरण पत्र में चेक लिस्ट बिन्दु, प्रस्ताव का पृष्ठ उल्लेख करते हुए टीप दी जावे।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः– छ.ग. शासन के पत्र दिनांक 16.04.2020 की एक पृष्ठीय छाया प्रति।

मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 821/ 873 रायपुर, दिनांक 22/05/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांक एफ–5–02/2020/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 16/04/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छ.ग. अरण्य भवन,

सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,

नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत बस्तर नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 11.534 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

विविध –I

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115– 815/557, दिनांक 29.02.2020 ।

----00----

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 A में भाग–4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुशंसा प्रदाय की गई है। उक्त भाग– 4 में अनुशंसा किस गैर वानिकी कार्य हेतु की गई है, यह स्पष्ट रुप से अंकित नही है।

2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिंदु क्र. a (ग्रामसभा का कार्यवाही विवरण) तथा b (ग्रामसभा की अनुशंसा) संबंधी जानकारी में "Not Applicable" लिखा है।

   भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. F 11-9/98-FC(pt), दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत् कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारुप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारुप में Linear प्रकरणों हेतु Form I निर्धारित है तथा इस Form I में FRA के अधीन Settlements of Rights संबंधी ग्रामसभा की संपूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण को संलग्न किया जाना उल्लेखित है।

3. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होने का लेख किया गया है। उक्त बाबत् स्थिति स्पष्ट करें।

क्रमशः : 2

APCCF (L/M)

PCCF

(25)

4. प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित धमतरी वनमंडल में अलग–अलग OFC लाईन के प्रकरणों को एक्जाई कर इन लाईनों से प्रभावित हो रहे वन कक्ष के क्रमांक दर्ज करते हुए कुल रकबा 11.534 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है।

कृपया उपरोक्त आवेदित प्रत्येक OFC लाईन का निम्नानुसार विस्तृत विवरण प्रदाय करें :–

1. प्रत्येक OFC लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है ।
2. प्रत्येक OFC लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा ।
3. धमतरी वनमंडल में प्रस्तावित उपरोक्त सभी OFC लाईनों का उपरोक्त बिंदु क्र. 4 (1) तथा 4(2) में उल्लेख अनुसार विवरण देते हुए विषयांकित प्रस्ताव में कुल आवेदित वन भूमि की गणना प्रस्तु करें।

5. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 अधूरा एवं अहस्ताक्षरित है।

2/– कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर टीप प्रेषित करने का कष्ट करें, **जिसके उपरांत प्रकरण में** आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

Rajput
(के.पी.राजपूत) 15.4.2020
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग
नवा रायपुर, दिनांक /04/2020

पृष्ठां.कमांक एफ–5–02/2020/10–2

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
4. आवेदनकर्ता, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग